

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 134/2025  
(अपील संख्या – 887/2020)

श्रवण लाल रैगर

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री आशीष मोदी आईएएस, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सुनील कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, मुख्यालय, जयपुर।
3. शकील अहमद अंसारी, कनिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर, सांगानेर शहर, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.05.2025  
आदेश की दिनांक : 29.07.2025

उपस्थित :-

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक  
अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 887/2020 में दिनांक 24.12.2024 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 24.12.2024 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दिनांक 11.05.1993 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.06.1993 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 09.06.1995 से स्थायी किया। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा पूर्व में संचालित पुस्तकालय में अपीलार्थी को पदस्थापन कर रखा था, परंतु अपीलार्थी का कैडर कंट्रोल प्रत्यर्थी संख्या 2 (माध्यमिक शिक्षा) के पास ही मौजूद था तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा ही संचालित की जा रही थी। प्रदर्श-4 के अनुसार शासन उप सचिव भाषा एवं पुस्तकालय विभाग ने पुस्तकालय एवं भाषा विभाग के संबंध में पुस्तकालयों में पुस्तकालय संवर्ग के पद ही सृजित किये थे तथा शिक्षा विभाग के शेष मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक ही संवर्ग होगा जो शिक्षा विभाग के

अंतर्गत रहने के आदेश जारी किये गये थे। प्रदर्श-5 अ.शा.पत्राक उनि/सशि/पुस्तक प्रकोष्ठ/एफ.68/06-07/64 दिनांक 19.12.2008 में स्पष्ट प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.09.2002 में यह स्पष्ट आदेश प्रदान किये गये हैं कि जब पुस्तकालयाध्यक्ष का अलग संवर्ग स्थापित नहीं हो जाता तब तक समस्त नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास रहेगा। संवर्ग अलग से स्थापित करने में राज्य सरकार की प्रस्तावनानुसार राज्यपाल महोदय ही सक्षम है। भाषा विभाग अलग से संवर्ग बनाने में या प्रस्ताव बनाने में सक्षम नहीं है तथा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि इस भाषा विभाग के द्वारा अपने विभाग की पंजिकाओं में किसी प्रकार के आदेश सहमति देने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा द्वारा उन आदेशों की पालना करना आवश्यक नहीं है क्योंकि सक्षम नियंत्रण अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक है और भाषा विभाग एक अलग विभाग है, राज्य सरकार नहीं है। अतः भाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों की पालना करवाना या अधीनस्थ कार्यालयों से करवाना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने दिनांक 22.12.2009 को प्रदर्श-6 परिपत्र जारी करते हुये यह स्पष्ट निर्देश दिये कि भाषा विभाग के अधिग्रहण आदेश दिनांक 23.02.2007 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर ने अपने आदेश क्रमांक 64 दिनांक 19.12.2008 के द्वारा विवादित मानते हुये इस पर कार्यवाही नहीं किये जाने का उल्लेख किया है तथा यह भी निर्देश दिये गये सार्वजनिक पुस्तकालयों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों के हित व लाभ को ध्यान में रखते हुये समस्त उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को तत्काल निर्देशित करना उचित होगा कि इन कार्मिकों का लियन एवं वरिष्ठता माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन मानते हुये इन्हें डीपीसी में शामिल कर पदोन्नति संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही करें। उक्त तथ्यों के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेशों से पूर्व भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा अपीलार्थी से लिये गये विकल्प पत्र दिनांक 06.02.2005 जिसको प्रत्यर्थी विभाग ने ही अमान्य घोषित कर दिया, उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2020 तक अपीलार्थी की वरिष्ठता माध्यमिक शिक्षा विभाग में होने के बावजूद वर्ष 2020-21 की पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम होने के बावजूद अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की गई तथा वे समस्त लाभ प्रदान नहीं किये गये जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रदान किये गये हैं तथा अपीलार्थी के समान प्रकरण पर संयुक्त शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा ने दिनांक 11.07.2016 को प्रदर्श-7 के माध्यम से ज्योत्सना राजावत जो भाषा विभाग में ही कार्यरत थी को विभाग के परिपत्रों के अनुसार लियन माध्यमिक शिक्षा में मानते हुये पदोन्नति प्रदान की गई है तथा अपीलार्थी को समान लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य स्वयं के आदेशों के विपरीत होने के कारण विरोधाभासी है। नियमानुसार किसी भी कार्मिक का दूसरे विभाग में समायोजन राज्य सरकार द्वारा अधिशेष घोषित करने पर या जिस विभाग में कार्यरत है, उसके विभागाध्यक्ष द्वारा दूसरे विभाग में जाने की सहमति देने पर तथा कार्मिक की सहमति होने पर ही दूसरे विभाग में समायोजन किया जा सकता है। अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2005 में जो विकल्प पत्र दिया गया था उसे स्वयं निदेशक महोदय ने ही अवैध एवं अनुचित मानने के निर्देश जारी किये थे, उसके पश्चात् अपीलार्थी ने कभी भी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में समायोजन हेतु कोई सहमति पत्र प्रदान नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य राजस्थान सेवा नियम, 1951 तथा राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1971 के प्रावधानों के विपरीत है तथा विभाग के निर्देशों के विपरीत है। अपीलार्थी शिक्षा विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ है और इस प्रकार अपीलार्थी का नियोक्ता अधिकारी शिक्षा विभाग ही है। शिक्षा विभाग नियोक्ता अधिकारी होने के अनुसार ही शिक्षा विभाग में अपीलार्थी की वरिष्ठता समय-समय पर जारी होती रही, परंतु अपीलार्थी को भाषा विभाग में कार्यरत होने के कारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति से वंचित रहना पडा और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया जो सेवा नियमों के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। परंतु भाषा विभाग में कार्यरत होने के कारण अपीलार्थी को शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकी तथा अपील संख्या 3001/2018 में अपीलार्थी का लियन भाषा विभाग में नहीं होने के बावजूद भाषा विभाग ने विधि विरुद्ध जाकर आदेश दिनांक 10.07.2018 एवं 06.08.2018

के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये पदस्थापन किया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है। भाषा विभाग को अपीलार्थी की पदोन्नति करने के संबंध में अधिकार नहीं है। अपीलार्थी की पदोन्नति करने का अधिकार माध्यमिक शिक्षा के पास है। निदेशक भाषा विभाग ने विधि विरुद्ध जाकर अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति आदेश दिनांक 10.07.2018 (प्रदर्श-9) एवं 06.08.2018 (प्रदर्श-10) निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 10.07.2018 (प्रदर्श-9) एवं 06.08.2018 (प्रदर्श-10) को निरस्त किया जाता है तथा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की जावे तथा वे समस्त नकद लाभ अपीलार्थी को प्रदान किये जावें जिस दिनांक से निजी प्रत्यर्थी को प्रदान किये गये हैं तथा उक्तानुसार अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभों का भुगतान मय एरियर दो माह में किया जावे।

अधिकरण द्वारा अपील संख्या 887/2020 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.09.2020 की एवं अपील संख्या 3001/2018 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2018 की पुष्टि (confirm) की जाती है।”

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 24.12.2024 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश की पालना करवाये जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 28.02.2025, 11.03.2025 एवं 15.04.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 24.12.2024 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।
3. अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण की ओर से नोटिस के बावजूद इस अवमानना याचिका का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।
5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2024 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दिनांक 11.05.1993 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.06.1993 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 09.06.1995 से स्थायी किया। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा पूर्व में संचालित पुस्तकालय में अपीलार्थी को पदस्थापन कर रखा था, परंतु अपीलार्थी का कैंडिडेट कंट्रोल प्रत्यर्थी संख्या 2 (माध्यमिक शिक्षा) के पास ही मौजूद था तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा ही संचालित की जा रही थी। प्रदर्श-4 के अनुसार शासन उप सचिव भाषा एवं पुस्तकालय विभाग ने पुस्तकालय एवं भाषा विभाग के संबंध में पुस्तकालयों में पुस्तकालय संवर्ग के पद ही सृजित किये थे तथा शिक्षा विभाग के शेष मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक ही संवर्ग होगा जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत रहने के आदेश जारी किये गये थे। प्रदर्श-5 अ.शा.पत्राक उनि/सशि/पुस्तक प्रकोष्ठ/एफ.68/06-07/64 दिनांक 19.12.2008 में स्पष्ट प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.09.2002 में यह स्पष्ट आदेश प्रदान किये गये हैं कि जब पुस्तकालयाध्यक्ष का अलग संवर्ग स्थापित नहीं हो जाता तब तक समस्त नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास रहेगा। संवर्ग अलग से स्थापित करने में राज्य सरकार की प्रस्तावनानुसार राज्यपाल महोदय ही सक्षम है। भाषा विभाग अलग से संवर्ग बनाने में या प्रस्ताव बनाने में सक्षम नहीं है तथा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि इस भाषा विभाग के द्वारा अपने विभाग की पंजिकाओं में किसी प्रकार के आदेश सहमति देने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा द्वारा उन आदेशों की पालना करना आवश्यक नहीं है क्योंकि सक्षम नियंत्रण अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक है और भाषा विभाग एक अलग विभाग है, राज्य सरकार नहीं है। अतः भाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों की पालना करवाना या अधीनस्थ कार्यालयों से करवाना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने दिनांक 22.12.2009 को प्रदर्श-6 परिपत्र जारी करते हुये यह स्पष्ट निर्देश दिये कि भाषा विभाग के अधिग्रहण आदेश दिनांक 23.02.2007 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर ने अपने आदेश क्रमांक 64 दिनांक 19.12.2008 के द्वारा विवादित मानते हुये इस पर कार्यवाही नहीं किये जाने का उल्लेख किया है तथा यह भी निर्देश दिये गये सार्वजनिक पुस्तकालयों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों के हित व लाभ को ध्यान में रखते हुये समस्त उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को तत्काल निर्देशित करना उचित होगा कि इन कार्मिकों का लियन एवं वरिष्ठता माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन मानते हुये इन्हें डीपीसी में शामिल कर पदोन्नति संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही करें। उक्त तथ्यों के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेशों से पूर्व भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा अपीलार्थी से लिये गये विकल्प पत्र दिनांक 06.02.2005 जिसको प्रत्यर्थी विभाग ने ही अमान्य घोषित कर दिया, उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2020 तक अपीलार्थी की वरिष्ठता माध्यमिक शिक्षा विभाग में होने के बावजूद वर्ष 2020-21 की पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम होने के बावजूद अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की गई तथा वे समस्त लाभ प्रदान नहीं किये गये जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रदान किये गये हैं तथा अपीलार्थी के समान प्रकरण पर संयुक्त शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा ने दिनांक 11.07.2016 को प्रदर्श-7 के माध्यम से ज्योत्सना राजावत जो भाषा विभाग में ही कार्यरत थी को विभाग के परिपत्रों के अनुसार लियन माध्यमिक शिक्षा में मानते हुये पदोन्नति प्रदान की गई है तथा अपीलार्थी को समान लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य स्वयं के आदेशों के विपरीत होने के कारण विरोधाभासी है। नियमानुसार किसी भी कार्मिक का दूसरे विभाग में समायोजन राज्य सरकार द्वारा अधिशेष घोषित करने पर या जिस विभाग में कार्यरत है, उसके विभागाध्यक्ष द्वारा दूसरे विभाग में जाने की सहमति देने पर तथा कार्मिक की सहमति होने पर ही दूसरे विभाग में समायोजन किया जा सकता है। अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2005 में जो विकल्प पत्र दिया गया था उसे स्वयं निदेशक महोदय ने ही अवैध एवं अनुचित मानने के निर्देश जारी किये थे, उसके पश्चात् अपीलार्थी ने कभी भी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में समायोजन हेतु कोई सहमति पत्र प्रदान नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य राजस्थान सेवा नियम, 1951 तथा राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1971 के

प्रावधानों के विपरीत है तथा विभाग के निर्देशों के विपरीत है। अपीलार्थी शिक्षा विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ है और इस प्रकार अपीलार्थी का नियोक्ता अधिकारी शिक्षा विभाग ही है। शिक्षा विभाग नियोक्ता अधिकारी होने के अनुसार ही शिक्षा विभाग में अपीलार्थी की वरिष्ठता समय-समय पर जारी होती रही, परंतु अपीलार्थी को भाषा विभाग में कार्यरत होने के कारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति से वंचित रहना पड़ा और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया जो सेवा नियमों के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। परंतु भाषा विभाग में कार्यरत होने के कारण अपीलार्थी को शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकी तथा अपील संख्या 3001/2018 में अपीलार्थी का लियन भाषा विभाग में नहीं होने के बावजूद भाषा विभाग ने विधि विरुद्ध जाकर आदेश दिनांक 10.07.2018 एवं 06.08.2018 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये पदस्थापन किया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है। भाषा विभाग को अपीलार्थी की पदोन्नति करने के संबंध में अधिकार नहीं है। अपीलार्थी की पदोन्नति करने का अधिकार माध्यमिक शिक्षा के पास है। निदेशक भाषा विभाग ने विधि विरुद्ध जाकर अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति आदेश दिनांक 10.07.2018 (प्रदर्श-9) एवं 06.08.2018 (प्रदर्श-10) निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 10.07.2018 (प्रदर्श-9) एवं 06.08.2018 (प्रदर्श-10) को निरस्त किया जाता है तथा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की जावे तथा वे समस्त नकद लाभ अपीलार्थी को प्रदान किये जावें जिस दिनांक से निजी प्रत्यर्थी को प्रदान किये गये हैं तथा उक्तानुसार अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभों का भुगतान मय एरियर दो माह में किया जावे।

अधिकरण द्वारा अपील संख्या 887/2020 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.09.2020 की एवं अपील संख्या 3001/2018 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2018 की पुष्टि (confirm) की जाती है।”

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिस्थीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

*"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance*

*becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

*"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

*"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 24.12.2024 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए

अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य